सं. 11014/07/2022-रा.भा.(पत्रिका)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001
दिनांक : 07 अप्रैल , 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में वर्ष 2021-22 में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु '**राजभाषा गौरव पुरस्कार**' योजना ।

केंद्र की राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से बढ़ाया जाना है । इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं । राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 25 मार्च, 2015 के संकल्प सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति) एवं समय-समय पर जारी संशोधन के अनुपालन में केंद्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना चलाई जा रही है ।

2. योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए आवधिक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं । केंद्र सरकार के कार्मिकों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि राजभाषा में लेख लिखने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और पाठकों को अच्छे लेख पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकें ।

3. पात्रता

(क) केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक ।
(ख) लेख किसी भी सरकारी संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) में प्रकाशित होने चाहिए ।
(ग) हिंदी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो ।
(घ) हिंदीतर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो ।
(ड) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आये हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होंगी।

जारी.....पृ.सं. 2

4. नियम व शर्तें :

(क) इस पुरस्कार योजना में एक लेखक के अधिकतम दो लेख ही शामिल किए जाएंगे । किसी लेखक के दो से अधिक लेख प्राप्त होने की स्थिति में विभाग को प्राप्त होने वाले प्रथम दो लेखों पर ही विचार किया जाएगा । अन्य लेख स्वत: ही अपात्र हो जायेंगे ।

(ख) लेख की फोटोकोपी के साथ मूल पत्रिका का होना अनिवार्य है अन्यथा लेख, पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(ग) लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र लेखक द्वारा देना आवश्यक होगा ।

(घ) सेवानिवृति कार्मिक के संदर्भ में सेवानिवृत प्रमाण पत्र या इससे संबन्धित कागजात लगाना अनिवार्य है।

5. पुरस्कार

विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार के साथ शील्ड एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे ।

	हिंदी भाषी	**हिंदीतर भाषी**
प्रथम पुरस्कार	20,000/-रु.	25,000/-रु.
द्वितीय पुरस्कार	18,000/-रु.	22,000/-रु.
तृतीय पुरस्कार	15,000/-रु.	20,000/-रु.

5. **मूल्यांकन प्रक्रिया**

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर तीन-तीन लेखों का चयन करेगा। इस चयन के लिए हिंदी प्रभारी सयुंक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को **अनुलग्नक 'क'** में दिए गए प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेगें। राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखों का मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवा कर हिंदी व हिंदीतर भाषियों के लिए तीन-तीन पुरस्कारों का चयन करेगा।

6. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योंजना का अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तथा सभी सम्बद्ध और अधीनस्त कार्यालयों को व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करें।

7. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वर्ष 2021-22 में छपें लेखों में से, पैरा 5 में दी गई चयन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चयनित लेख **मूल पत्रिका के साथ 31 मई 2022** तक राजभाषा विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

जारी..... पृ.सं. 3

8. पुरस्कार जीतने के बारे में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख किया जाए।

(मंजुला सक्सैना)
निदेशक (पत्रिका)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रमों तथा बैंकों आदि की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।

2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधानमंत्री कार्यलाय, नई दिल्ली
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
7. राजी सभा सचिवालय, नई दिल्ली
8. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
9. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
10. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली
11. नीति आयोग, नई दिल्ली
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
14. संसदीय राजभाषा समिति, नई दिल्ली
15. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक
16. वरिष्ठ निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राजभाषा विभाग- अनुरोध है कि इस ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दे।
17. राजभाषा विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय।

<u>उत्कृष्ट लेखों के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2021-22</u>

चेक लिस्ट

क्रं. सं.	**सम्मिलित कागजात की सूची**	**हाँ**	**नहीं**
1.	केंद्र सरकार में कार्यरत		
2.	सेवानिवृत्त कार्मिक		
3.	सेवानिवृत्त कार्मिक के संदर्भ में सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र या इससे संबन्धित कागजात		
4.	लेख किसी भी सरकार संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) में प्रकाशित		
5.	पूर्ण रूप से भरा हुआ अनुलग्नक 'क'		
6.	हिन्दी भाषी लेखक जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में हो, से संबन्धित प्रमाण पत्र		
7.	हिन्दीत्तर भाषी लेखक जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में हो, से संबन्धित प्रमाण पत्र		
8.	पुरस्कार योजना में भेजे जाने वाले प्रकाशित लेख (अधिकतम दो) की फोटोकोपी		
9.	मूल पत्रिका जिसमें लेख प्रकाशित हुआ है		
10.	लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र		

(अनुलग्नक 'क')

क्रं.सं.	**नाम (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)**	**पदनाम**	**आधार कार्ड नंबर**	**श्रेणी (हिन्दी भाषी / हिंदीत्तर भाषी)**	**कार्यालय का पता**	**लेख का विषय**	**पत्रिका का नाम**	**पत्रिका का अंक व वर्ष**	**संपर्क सूत्र फोन, ई-मेल आदि**	**टिप्पणी**
1.										
2.										

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम
दूरभाष नं./मोबाइल नं.